सामाजिक न्याय की अवधारणा

डॉ. प्रकाश इन्दालिया – सह आचार्य (लोक प्रशासन), माधव विश्वविद्यालय,पिण्डवाडा (सिरोही)

E-mail – dr.prakashindalia@gmail.com

डॉ. महेन्द्र सिंह – सह आचार्य (समाजशास्त्र), माधव विश्वविद्यालय,पिण्डवाडा (सिरोही)

E-mail – mahendrasingparmar123@gmail.com

शोध सारांश: भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। यह व्यक्ति सामाजिक न्याय की भावना के कारण तत्कालीन अछूत, अन्य पिछडा वर्ग और महिलाओं तथा दलितों का उदार करने के कारण हिन्दु समाज की 95 प्रतिशत जनसंख्या का मसीहा बन गया। हिन्दु शस्त्रों के अनुसार जनसंख्या के एक बहुत बडे हिस्से को जाति व्यवस्था के आधार पर निम्न जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। अम्बेडकर उस सहस्त्राब्दी का प्रथम व्यक्ति था जिसने सामाजिक न्याय व कानून की मदद से जातिगत भेदभाव को हिन्दु समाज से समाप्त कर दिया। भारतीय संविधान निर्माता सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों को अच्छी तरह जानते है कि वे किस प्रकार लोगो की उम्मीदो को पूरा कर सकेगे। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने अपना विचार रखा ''संविधान सभा का पहला कार्य संविधान द्वारा भूखे लोगो को भोजन व कपडा प्रदान करना व आत्मनिर्भर बनाना जिससे वे खुद का विकास कर सके तथा देश के लिए कुछ कर सके।

संक्षेप मे महत्वपूर्ण तरीकों मे से एक जिसमे जॉच आगे बढेगी विभिन्न रूपों को लेते हुए सामाजिक न्याय के विचारों की प्रासंगिक अभिव्यक्ति है। राजकीय न्याय मे शामिल है विभिन्न कल्याणकारी योजनाए, कानून, कानूनन साक्षरता, ऐसे अधिकरणों, जन अदालते बोर्ड, जनहित याचिकाएं, नवीन कानून शिक्षा साथ ही समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा का संवैधानिक विचार तथा सकरात्मक भेदभाव की शुरूआत। मानवीय अधिकारों की सुरक्षा और नागरिक स्वतन्त्रता के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा में दृढ प्रतिबद्धता भी शामिल है अक्षमता व अन्य वर्ग जैसे कि शारीरिक अपंग, बाल श्रम, जनजातियॉ व वे जो पर्यावरणीय प्रदूषण से प्रभावितों की समस्याए भी सामाजिक न्याय का एजेंडा बनाती है। और ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण समस्याएँ है। ये अधिकांश राजनैतिक अशांति, सामाजिक व जातीय संघर्ष और सामुहिक हिंसा की वृद्धि व हमारे देश मे गणतंत्रात्मक संरचना ही कमजोरी की जड है।

कुंजी शब्द : सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाए, राजनैतिक अशांति, सामाजिक व जातीय संघर्ष.

प्रस्तावना :

भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को लागु किया गया। संविधान के कुछ प्रावधान तो उसी दिन अस्तित्व मे आए लेकिन कुछ प्रावधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आए। इस दिन को संविधान प्रारम्भ के दिन के रूप में जाना जाता है तथा इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की सामग्री व आत्मा अद्वितीय है जिसकी विशेषता के कारण यह विश्व में अपनी अलग पहचान के रूप में जाना जाता है।

भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। यह व्यक्ति सामाजिक न्याय की भावना के कारण तत्कालीन अछूत, अन्य पिछडा वर्ग और महिलाओं तथा दलितों का उदार करने के कारण हिन्दु समाज की 95प्रतिशत जनसंख्या का मसीहा बन गया। हिन्दु शस्त्रों के अनुसार जनसंख्या के एक बहुत बडे हिस्से को जाति व्यवस्था के आधार पर निम्न जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। अम्बेडकर उस सहस्त्राब्दी का प्रथम व्यक्ति था जिसने सामाजिक न्याय व कानून की मदद से जातिगत भेदभाव को हिन्दु समाज से समाप्त कर दिया।

समाजिक न्याय व्यवस्था रंग, जाति, धर्म तथा लिंग के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान व्यवहार करना सिखाता है। सामाजिक न्याय व्यवस्था मे पिछडे वर्गो सी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछडा वर्ग और महिलाओं की स्थिति को विशेषाधिकार प्राप्त है क्योकि सामाजिक न्याय संविधान की मुख्य आधारशिला है। भारतीय संविधान निर्माता सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों को अच्छी तरह जानते है कि वे किस प्रकार लोगो की उम्मीदो को पूरा कर सकेगे। पंडीत जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने अपना विचार रखा ''संविधान सभा का पहला कार्य संविधान द्वारा भूखे लोगो को भोजन व कपडा प्रदान करना व आत्मनिर्भर बनाना जिससे वे खुद का विकास कर सके तथा देश के लिए कुछ कर सके।

समाजिक न्याय के लचीले रूप के कारण यह सबके लिए बहुत उपयोगी है। हालांकि सामाजिक न्याय का संविधान मे कहीं पर भी परिभाषित नही किया गया है लेकिन सामाजिक न्याय संविधान का एक लक्ष्य है जो सामाजिक भावनाओं का आदर्श तत्व है। सामाजिक न्याय की भावना समय परिस्थितियों, संस्कृति और लोगो की महत्वकांक्षाओं से अस्थिर अवधारणा का एक रूप है।

मुख्य न्यायधीश गजेन्द्र गढकर के अनुसार सामाजिक न्याय सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों मे प्रत्येक नागरिक को असमानता रोकने के लिए समान अवसर का उद्देश्य प्रदान करती है।

भारतीय संविधान ने सभी नागरिको न्यायिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक बनाने का वादा किया है तथा उन्हें अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता देने के लिए प्रेरित किया है।

लोगो को सामाजिक न्याय सम्बन्धी अधिकार निम्न अनुच्छेद मे प्रदान किए गए है :

अनुच्छेद 19 नागरिको के मौलिक अधिकारों की गारंटी। अनुच्छेद 19 (1) के सात उपखंड मे नागरिको की आजादी के सात अलग अलग प्रकार की गारंटी और उनकी मौलिक अधिकारों के रूप में पहचान कराता है। अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत व्यक्तिगत अधिकारों तथा सार्वजनिक अधिकारो के दावो समायोजन संतोषपरक करते है।

अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 24 विशेष रूप से किसी फैक्ट्री या खदान मे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 3द्वितीय मे संपति के मूल अधिकार के संबंध मे तथा संपति के अनिवार्य अधिग्रहण पर अनिश्चित (विरोधाभाषी) समस्या के संबंध मे विशिष्ट प्रावधान देता है। अनुच्छेद 38 मे चाहा गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त कर व उसकी सुरक्षा कर लोगो की मलाई को आगे बढाया जाए उतने प्रभावी ढंग से जितना संभव हो जिससे सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को सूचित करेगा। अनुच्छेद 39 खंड (क) कहता है कि राज्यपाल करेगा कि विधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढावा दे और विशेषकर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो उपर्युक्त विधान या योजनाओं के द्वारा व अन्य प्रकार से यह आश्वस्त करने के लिए कि न्याय प्राप्ति के अवसर से कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण वंचित न हो।

अनुच्छेद 41 मान्यता देता है कि प्रत्येक नागरिक के कार्य करने, शिक्षा व बेरोजगारी , वृद्धावस्था, बीमारी व अपंगता के मामले मे व अन्य अवंछित कमी के मामले मे अधिकार प्राप्त हो। अनुच्छेद 42 न्याय प्राप्ति व कार्य की मानवीय अवस्था और प्रूसति राहत महत्व पर जोर देता है। अनुच्छेद 43 कामकाजी आबादी से पूर्व जीवित मजदूरी के विचार को आदर्श मानता है। अनुच्छेद 46 मे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य अपेक्षाकृत कमजोर वर्गो मे शिक्षा व आर्थिक हितो को बढावा देने के महत्व पर जोर दिया गया है।

बहुत बडी संख्या मे वे नागरिक जिन्हे अछूत गिना जाता है इस सामाजिक समस्या के अस्तित्व की प्रस्तुति ने संविधान मे विशेष ध्यान प्राप्त किया है जैसाकि अनुच्छेद 15 (1) द्वारा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया है। महिलाओं व बच्चों तथा सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछडे वर्गो के नागरिको या अनुसूचित जाति/जनजाति वालो के विकास के लिए राज्य विशेष प्रावधान बनाने हेतु सक्षम होगा। ऐसा ही अद्यवाद अवसरो की समानता के सिद्धान्त को प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 16 (1) के रूप मे प्रस्तुत किया है।

जितना कि अनुच्छेद 16 (4) राज्य को नागरिको के किसी भी पिछडे वर्ग के पक्ष मे नियुक्तिया या पदो के समाधान के लिए प्रावधान बनाने के लिए अनुमति देता है वे वर्ग राज्य की राय से राज्य मे सेवाओं मे पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नही करते है। अनुच्छेद 17 दावा (घोषणा) करता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है तथा इसके किसी भी रूप मे अभ्यास की मनाही करता है तथा अस्पृश्यता को बढावा देना कानूनन दंडनीय अपराध होगा यह निश्चित करता है।

सामाजिक आर्थिक न्याय के विचार को प्राप्त करने की समस्याओं के संबंध मे यह प्रावधान नीति (कोड) है जो कि भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है।

सक्षमता की दो धाराओं के संबंध मे सामाजिक न्याय परिदृश्य को जांचा जाना है (क) स्थायी आजीविका जिसका अर्थ है जीवन के पर्याप्त साधनों की प्राप्ति जैसे घर, कपडा, भोजन, विकास के साधन रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व संसाधनो की प्राप्ति (ख) सामाजिक व राजनीतिक भागीदारी (सक्षम व साधनों को सशक्त बनाने) जो मौलिक अधिकारों की गारंटी पर बनाया गया है, सरकार मे भागीदारी के अधिकार को प्रोत्साहन व सशक्तिकरण न्याय के सभी उपलब्ध साधनो की प्राप्ति और जिसके आधार पर न्याय एक

राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में एक व्यवहारिक वास्तविक बन जाए। इसलिए हमे आवश्यकता है विभिन्न मुद्दो के चुनिन्दा दृष्टांतो पर अध्ययन की जो सरकार की कुछ विषयों की नीतियों पर जैसे

क. भोजन व पानी का अधिकार

ख. आवास जिसमे शामिल है पुनः बसवाहर व पुनर्वास

ग. शिक्षा की प्राप्ति

घ. स्वास्थ्य व स्वास्थ्य सेवा के प्रावधानों की प्राप्ति

च. कार्य का अधिकार और

छ. सूचनाओं की प्राप्ति और संवाद का अधिकार।

संक्षेप मे महत्वपूर्ण तरीकों मे से एक जिसमे जॉच आगे बढेगी विभिन्न रूपों को लेते हुए सामाजिक न्याय के विचारों की प्रासंगिक अभिव्यक्ति है। राजकीय न्याय मे शामिल है विभिन्न कल्याणकारी योजनाए, कानून, कानूनन साक्षरता, ऐसे अधिकरणों, जन अदालते बोर्ड, जनहित याचिकाएं, नवीन कानून शिक्षा साथ ही समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा का संवैधानिक विचार तथा सकरात्मक भेदभाव की शुरूआत।

सामाजिक न्याय मे चुनौतियां :

आजादी के 40 वर्षो बाद 8 पंचवर्षीय योजनाएं, वंचित वर्गो, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, आवास इत्यादि पर बने सैकडों कानून जो इन्हे विभिन्न प्रकार की विशेष सुविधाए प्रदान करते है, सामाजिक न्याय वास्तविकता से दूर है। कुल आबादी 96 करोड 50 लाख का 53 प्रतिशत हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे है अर्थात मूल आवश्यकताओं पर प्रति दिन एक डोलर भी खर्च करने मे असमर्थ है। केवल 16 प्रतिशत परिवार ही बिजली, पेयजल व शौचालय सुविधाओं का आरामदायक आनन्द उठाते है। यदि केवल ग्रामीण परिवारों को ही ध्यान मे रखा जाए तो यह प्रतिशत केवल 39 प्रतिशत ही है। हमारी महिलाओं मे 71 प्रतिशत निरक्षर है। कुछ राज्यों जैसे केरल और तमिलनाडु को छोड दिया जाए तो ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल एक दिखावा है और लगभग अस्तित्व मे ही नही है। फिर लाखों शिक्षित बेरोजगारों की समस्या है। यद्यपि किसी भी समाज मे कुछ रूप मे असमानता तो अपरिहार्य होती है परन्तु विशाल पैमाने पर आर्थिक विषमता और लाखों भारतीयों की अशोभनीय जीवन स्थितियां एक वास्तविकता है जिसे नजर अंदाज नही किया जा सकता। मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि सर्वोच्च वरियता अवश्य होनी ही चाहिए। क्योंकि भोजन, आवास, कपडा स्वास्थ्य सुविधा और प्राथमिक शिक्षा के बिना एक व्यक्ति मानव ही नही बनता। विस्तृत फैला हुआ जातिगत पूर्वागृह और निम्नजातियों के विरूद्ध सतत भेदभाव सामाजिक स्थिरता व शांति के लिए एक खतरा है। जनसंख्या के एक विशाल खंड की सामाजिक और शैक्षिक पिछडापन उन्हें सामाजिक व आर्थिक विकास की प्रक्रिया मे भागीदारी से रोकता है। उनको मानवीय विकास का जिक ही नही है। अतः सामाजिक कियाकलाप मे भेदभाव मे कमी सामाजिक न्याय हेतु आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाएँ ऐतिहासिक, सामाजिक, व आर्थिक नुकसान से ग्रसित है। यहॉ तक कि वंचित संप्रदाय के अन्य वर्गो मे भी वे अधिकतम वंचित वर्ग में है। लिंग न्याय की गम्भीरता से मांग के लिए एक स्वतन्त्र समाज को उपस्थित होना ही पडेगा।

मानवीय अधिकारों की सुरक्षा और नागरिक स्वतन्त्रता के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा में दृढ प्रतिबद्धता भी शामिल है अक्षमता व अन्य वर्ग जैसे कि शारीरिक अपंग, बाल श्रम, जनजातियॉ व वे जो पर्यावरणीय प्रदूषण से प्रभावितों की समस्याए भी सामाजिक न्याय का एजेंडा बनाती है। और ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण समस्याएँ है। ये अधिकांश राजनैतिक अशांति, सामाजिक व जातीय संघर्ष और सामुहिक हिंसा की वृद्धि व हमारे देश मे गणतंत्रात्मक संरचना ही कमजोरी की जड है। जातीय संस्था हमारे समाज मे बहुत प्रभावी है जो कि पश्चिमी देशो की घटना नही है। इस प्रकार की परिस्थितियों मे क्या हम उस पद्धति का जो हमने अपनाया है उसका फल तोड सकते है। सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य है अनिवार्य व समान शिक्षा, जाति विहिन समाज और प्रत्येक को रोजगार। आर्थिक शोषण भी एक बडा घटक है और ये सभी गणतंत्र का वास्तविक अहसास करने की अनुमति नही देते। जब भारत सामाजिक व जातीय भेदभाव आर्थिक संघर्ष, बेरोजगारी, संप्रदायवाद और मूल आवश्यकताओं की कमी से गुजर रहा हो। एक तथ्यात्मक व अलग पार्टी की आवश्यकता है जो सामाजिक समस्याओं व आर्थिक वंचितता को स्वीकार करे व उन पर बात करें।

न्याय के अर्थ को और अधिक परिभाषित करने की आवश्यकता नही है। और यह समर्पित है कि उन सभी को न्याय दिया जाए जो वंचित रहे है या वंचित हो रहे है।

सामाजिक नीति :

राजनीति समाज का प्रतिबिम्ब होता है यदि जातिवाद, क्षैत्रवाद व सम्प्रदायवाद समाज का हिस्सा हो तो वे राजनीति मे भी प्रवेश करते है। वे जो भेदभाव के वातावरण मे जन्म लेते है व मरते है तो उनके लिए अलग सोच कैसे सम्भव होगा ? चुनाव के दौरान यही सोच प्राथमिक रहेगा बजाए विकास, विज्ञान, इमानदारी, विश्वसनीयता के यद्यति राजनैतिक दलों का उद्देश्य राजनैतिक शक्ति हासिल करना लेकिन वे सामाजिक भेदभाव से लडने के लिए भी समान रूप से जवाबदार है जब इसे महत्वपूर्ण एजेंडा बनाते है। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि एजेडा द्वारा राजनीतिक शक्ति, हासिल करना सम्भव नही है जब तक डील नही होती है। हाल ही फ्रांस सरकार ने विद्यार्थियों को धार्मिक संकेतो वाले वस्त्र विद्यालय मे पहनने पर प्रतिबंध लगाया है, इसी प्रकार हमे भी दृढ निर्णय लेना पडेगा कि भेदभाव वाली संस्था जैसे जातीय से परहेज करें। दलित व पिछडो की बढती हुई चेतना के कारण वे भी राजनीतिक शक्ति मे भागीदारी की कोशिश कर रहे है और उस परिस्थिति की ओर अग्रसर है जहॉ चुनाव दलों की अपेक्षा जातियों के मध्य लडे जा रहे है पहले प्रभावशाली जातिया ही मुख्यतम चुनाव लडती थी और अब पिछडों ने भी प्रतियोगिता प्रारम्भ कर ली है और वह दिन दूर नही जब प्रभावशाली जातिया अपनी कम संख्या के कारण सत्ता से बाहर हो जाएगी। हमस ब के लिए यह आवश्यक है की सडे हुए मूल्यों व सामाजिक पद्धति को हटा दे।

आर्थिक नीति :

सामाजिक आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, लिंग, स्थिति और आय प्रतिशतता के वर्गीकरण के आधार पर स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर आय का व्यक्तिगत या परिवारों के मध्य विभाजन ही समाज मे व्याप्त समानता व असमानता मे सबसे अधिक पाया जाता है। अधिकांश समसामयिक समाजों मे आय का विभाजन ही सबसे अधिक जायज द्योतक है कुल मिलाकर समानता या असमानता का हमारे देश मे अमीर व गरीब के बीच अन्तर बहुत चोडा है। ऐतिहासिक कारणों के साथ और कई कारण है गरीबी उत्पन्न होने के / सरकारे नैतिक रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार व सार्वभौमिकरण (ग्लोबलाइजेशन) व नीजिकरण के कारण इस पर बहस हो रही है कि सरकारे कोई कार्य या रोजगार उपलब्ध नही करा रही है लेकिन वे कानून, व्यवस्था व विदेश नीति बनाए रख रही है।

दलित :

दलितों का हजार वर्ष से शोषण हुआ है। कोई समाज या देश अपेक्षित विकास नही कर सकता जबकि इतनी बडी संख्या मे लोगो को मर्यादा व सम्मान से वंचित किया जाए। एक देश एक परिवार का ही विस्तृत रूप होता है, यदि परिवार का सदस्य अर्ध घोषित व बीमार हो तो उसमे शान्ति व खुशहाली न ही आ सकती । इसी प्रकार दलितों को वंचित करने का मूल्य चुकाना पडता है भारत चुका रहा है। डॉ. अम्बेडकर भूमि का राष्ट्रीयकरण के लिए ये लेकिन दलित इस आर्थिक एजेंडा को भूल गए। दलितों ने आरक्षण के कारण सरकारी नौकरियों व राजनीति मे कुछ प्रगति प्राप्त की लेकिन अन्य क्षेत्रों जैसे उद्योगो, बाजार, व्यवसाय, मीडिया, हाइटेक, कला व संस्कृति, स्टोक एक्सचेंज में उन्हें अभी प्रारम्भ करना है। डॉ. अम्बेडकर बौद्ध धर्म के द्वारा जाति रहित समाज स्थापित करना चाहते थे जो कि 2001 मे लागू किया गया जब लाखों दलितों ने बोद्ध धर्म को गले लगाया।

जनजातियॉ :

जनजातियॉ जातिगत भेदभाव से तो मुक्त है लेकिन वे आर्थिक गरीबी से सबसे अधिक ग्रसित है वे परम्परागत जडो व शाखा से ही पोषण पाते रहे है या अन्य उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर परन्तु इसमे भी गिरावट आई है। औद्योगिकरण व शब्दीकरण की बढती रफतार से कोई विकल्प नही छूटा सिवाए इसके कि वे देश की मुख्य धारा मे एक हो जाए। यद्यपि उन्हें भी आरक्षण दिया गया है लेकिन अधिकांश पिछडे जनजातियां मुश्किल से ही लाभान्वित है।

अल्प संख्यक :

अल्प संख्यक होना प्रजातंत्र मे कोई शाप नही होना चाहिए। लेकिन हमारे जैसे देश मे अधिसंख्यक मुख्य लाभ हथिया लेते है। इसाइयों ने ही विज्ञान, अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) व आधुनिक शिक्षा को उत्पन्न किया व लागू किया लेकिन वे दिन ब दिन प्रताडित किए जाते है धर्मातंरण के नाम पर जैनो, सिखों, बाद्यो को अलग धार्मिक वर्ग का स्थान नही दिया गया है यह अल्पसंख्यकों की दुर्दशा को प्रदर्शित करता है।

मुसलमान व दलित इसाई सबसे खराब पीडित है और इसलिए उन्हे स्वास्थ्य, शिक्षा व नौकरियों मे वरियता से आश्वस्त करना चाहिए। मुसलमान बहुत कम संख्या मे सरकारी नौकरियों या पुलिस मे है और उन्हें इन क्षेत्रों मे उनकी जनसंख्या के अनुसार

योगदान आश्वस्त करना चाहिये। साम्प्रदायिक बलवों में वे केवल बहुसंख्यक के क्रोध का ही नही सामना करते बल्कि पुलिस व पेरापीटरी बलों का भी सामना करते है। इसलिए यह आवश्यक है कि उनका पुलिस व पेरापीटरी बलों मे सुनिश्चित आरक्षण हो।

पिछडी जातिया :

पिछडी जातियों की जनसंख्या अन्य वर्गो से ज्यादा है लेकिन वे सबसे ज्याा विभक्त वर्ग है। दलित संघर्ष के कारण मंडल आयोग की अभिशंषाए लागू की गई थी लेकिन विभक्त व असावधान पिछडे लाभ भी प्राप्त नही कर सके। इस प्रकार अधिकांश पिछडी जातियों की गाथा दुःखद है। आरक्षण व अन्य लाभों को आश्वस्त हेतु उनकी ओर एक ताजी दृष्टि की आवश्यकता है।

महिलाएं :

महिलाए इस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था मे सबसे खराब रूप से पीडित है। यहॉ तक की समर्थ महिलाएं भी उनकी योग्यता के अनुसार रिटर्न प्राप्त करने की स्थिति मे नही है। बचपन से ही उन्हे सिखाया जाता है कि वे तो उनके ससुराल के घर से ही संबंधित है और उनकी मुक्ति उनके पतियों के आगे समर्पण से ही है। इससे यह मानसिकता उत्पन्न होती है चेतन या अर्ध चेतन रूप से कि महिलाएं आनंद व बच्चे पैदा करने का साधन मात्र है। इस पर आघात किया जाना चाहिये अन्यथा यहां तक कि महिलाए भी अपने अधिकार हेतु आगे नही आयेगी। इस मानसिकता की उप उत्पादन है दहेज, बलात्कार व यातनाए। वर्तमान समय मे मुस्लिम औरते सबसे अधिक खराब गृसित है बढती हुई मूलभूत प्रवृतियों के कारण।

किसान :

किसान जितनी मेहनत करते है उसकी तुलना मे उन्हे खराब नही मिलता है गेहूँ, धान व सब्जियों की तुलना मे सौन्दर्य प्रशासन के साधनों की किमतो मे वृद्धि हुई है। मुम्बई व दिल्ली जैसे देशो मे छोटे व्यापारी ओर सरकारी कर्मचारी जीवन व्यतित करने के लिए ज्यादा जोखिम नही उठा सकते है किसानो को उर्वरक, कीटनाशक ओर बीज आदि पर सब्सीडी को बढाना चाहिए। कम्प्यूटर व मोबाईल क्रान्ति से किसानो को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलना चाहिए।

श्रमिक :

उत्पादन अतीत मे हजारों मजदूरो द्वारा किया जाता था वर्तमान मे उनके स्थान पर बहुत कम लोग काम कर रहे है क्योकि मजदूरो का स्थान मशीनों ने ले लिया है। तथा व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमा रहे है। व्यापारियों ने मजदूरो का अधिक शोषण करना प्रारम्भ किया है। सामाजिक न्याय व्यवस्था श्रमिको के शोषण को रोकती है।

भूमिहीन लोग :

ग्रामीण भारत मे रहने वाली 65 प्रतिशत आबादी भूमिहीन है। जापान व यूरोप जैसे देशो मे 40 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर नही है। लेकिन कृषि आधारित उद्योगों और मृदा संरक्षण आदि पर रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है।

निष्कर्ष :

सामाजिक न्याय का हल हमारे भीतर ही निहित है। हमें इसके बारे मे पता होना चाहिए कि हमारे द्वारा गलत आचरण करने पर क्या सजा का प्रावधान है सामाजिक न्याय के अन्तर्गत भेदभाव को समाप्त करने के लिए हर सम्भव सरकारी प्रयास किए जा रहे है। सामाजिक न्याय को प्रभावी बनाने के लिए नीतियों को सुनिश्चित करना चाहिए। गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का कियान्वयन किया जाना चाहिए। लोगो को रोजगार के हर सम्भव प्रयास करने चाहिए। नौकरियों व स्वरोजगार के अवसरों मे वृद्धि करनी चाहिए।

संदर्भ सूची :

1. डी.डी कौशाम्बी – प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली–6,1969
2. पी. सी. खरे – भारतीय समाज एंव संस्कृति, पुस्तक भवन,रीवा,1976
3. डॉ. राम आउजा – भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, जयपुर–दिल्ली,1995
4. चन्द्रा बृजेश – समाजशास्त्र एंव सामाजिक समस्याएं, एस. आर. एस. पब्लिकेशन, आगरा 2004
5. शशि जैन – ग्रामीण समाजशास्त्र रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 1988
6. डॉ. सुरेन्द्र कटारिया – सामाजिक प्रशासन, एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 1997
7. चन्द्रदेव सिंह – प्राचीन भारतीय समाज और चिन्तन विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1987
8. रमेशचन्द्र अरोडा एवं गीता चतुर्वेदी, भारत में राज्य प्रशासन, आर.बी.एस.ए. पब्लिकशर्स, जयपुर 1997
9. शर्मा, हरिशचन्द्र, भारत में राज्य प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1979
10. शर्मा, गोपीनाथ, राजस्था का सामाजिक आर्थिक इतिहास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1993